राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक :– निस/शास/साप्रवि/2019 जयपुर, दिनांक :–15 मार्च 2019

–: परिपत्र :–

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आमचुनाव–2019 की घोषणा के पश्चात् आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही विभिन्न विभागों के अत्यावश्यक कार्यो के सम्पादन के संदर्भ में निर्वाचन विभाग, राजस्थान के आदेश क्रमांक एफ. 3(1)(7)I/निर्वा/2019/2265 दिनांक 12.03.2019 द्वारा जारी दिशा–निर्देश के पश्चात् भी कतिपय विभागो द्वारा प्रकरणों का आदर्श आचार संहिता के सन्दर्भ में तत्काल आवश्यकता सम्बन्धी स्पष्टीकरण/स्वपूरक स्पष्ट टिप्पणी के बिना ही पत्रावलियां स्क्रीनिंग समिति को भेजी जा रही है। अतः उक्त सन्दर्भ में पुनः स्पष्टतः निर्देशित किया जाता है कि :–

1. प्रथमतया प्रकरण भेजने से पहले चुनाव आयोग द्वारा प्रसारित निर्देशों के अन्तर्गत विभागीय स्तर पर गहनता से परीक्षण उपरान्त उपयुक्त एवं योग्य प्रस्ताव ही स्क्रीनिंग समिति को प्रेषित किये जावें। सामान्य प्रकृति के प्रकरणों का निस्तारण चुनाव आयोग द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार विभाग के स्वंय स्तर पर ही किया जाना सुनिश्चित किया जावें।
2. यह भी सुनिश्चित किया जावे कि समिति को तत्काल आवश्यकता सम्बन्धी प्रकरण ही परीक्षणोपरान्त औचित्य के साथ प्रस्तुत किये जावें, ना कि साधारण प्रकृति के।
3. अपेक्षित होने पर ही प्रकरण की अत्यावश्यकता स्पष्ट करते हुये, पूर्ण औचित्य के साथ शिथिलन हेतु पत्रावली/प्रस्ताव स्वपूरक टिप्पणी सहित प्रेषित किये जावें।
4. औचित्य बाबत टिप्पणी विभाग के Secy.-in-charge द्वारा हस्ताक्षरित हो।
5. नोट विभाग के Secy.-in-charge के माध्यम से ही सचिव सा.प्र.वि. (सदस्य स्क्रीनिंग समिति) को प्रेषित किया जावे।
6. स्क्रीनिंग समिति से अभिशंसा के पश्चात् उसे विभाग के Secy.-in-charge द्वारा मुख्य चुनाव अधिकारी जयपुर को प्रेषित किया जावे।

(डी.बी. गुप्ता)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
2. रक्षित पत्रावली

15/3/19.

(डॉ. राजेश शर्मा)
शासन सचिव